सोशलमीडियासेलपरिक्षेत्रआजमगढ़

PRESS NOTERANGEAZAMGARH

जनपद-मऊ/बलिया   प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 17.11.2024

जनपद –मऊ

1. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में 02 दोषसिद्ध अभियुक्त में आजीवन कारावास/10 वर्ष के कारावास व ₹10,000, 5,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 16-11-2024 को मु0अ0सं0 676/2012 के धारा 302,307,506 भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त सत्यप्रकाश चौहान पुत्र रामआधार चौहान निवासी नुरुल्लाहपुर थाना मधुबन मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹10,000 जुर्माने व अभियुक्त अच्छेलाल चौहान पुत्र रामआधार चौहान निवासी नुरुल्लाहपुर थाना मधुबन मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं ₹5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थदंड न अदा करने पर 02/01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा

जनपद – बलिया

1.थाना उभाँव जनपद बलिया पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या से संबंधित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल कुदाल बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रान्त वीर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल कुमार झा व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) श्री कृपा शंकर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी रसड़ा श्री मो0 फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना उभाँव पुलिस को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 16.11.2024 को थाना उभाँव प्रभारी निरीक्षक श्री विपिन सिंह मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 338/24 धारा 105 बीएनएस से संबंधित एक नफर अभियुक्त मोहित चौहान पुत्र जय प्रकाश चौहान निवासी मुबारकपुर थाना उभांव, बलिया को ग्राम मुबारकपुर के पास से किया गया गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 01 अदद खुनालूद कुदाल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय बलिया भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 338/24 धारा 105 बीएनएस थाना उभाँव जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मोहित चौहान पुत्र जय प्रकाश चौहान निवासी मुबारकपुर थाना उभांव, बलिया

बरामदगी का विवरण-

1. हत्या में प्रयुक्त 01 अदद आला कत्ल कुदाल

2. थाना भीमपुरा पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित 01 नाबालिग बच्ची उम्र करीब 6 वर्ष को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द।

परिजनों द्वारा भीमपुरा पुलिस को धन्यवाद देते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत *श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) श्री अनिल कुमार झा के कुशल पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी रसड़ा मो0 फहीम कुरैशी व थानाध्यक्ष श्री मदन पटेल के नेतृत्व में मिली बड़ी सफलता।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 15.11.2024 को थाना भीमपुरा पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी की पुत्री उम्र 06 वर्ष अपने घर से प्राइमरी स्कूल कीड़िरहापुर,भीमपुरा बलिया पढ़ने गयी थी। वह घर पर वापस नही आयी जिसकी हम लोगो द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है। इस सूचना पर थाना भीमपुरा द्वारा मु0अ0सं0- 252/24 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात दिनांक 15.11.2024 को पंजीकृत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत थाना भीमपुरा पुलिस टीम के उ0नि0 श्री राज केशर सिंह, उ0नि0 श्री अंकित यादव, हे0कां0 रामजन गुप्ता, म0का0 रागिनी कन्नौजिया द्वारा तत्परता दिखाते हुए समस्त वाट्स ऐप ग्रुप व सोशल मीडिया के सभी प्लैटफार्म (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स आदि) पर बालिका की फोटो विवरण शेयर करते हुए लगातार तलाश की जा रही थी जिसके क्रम में सोशल मीडिया की मदद लेते हुए बालिका उपरोक्त को थाना भीमपुरा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.11.2024 की रात्रि करीब 09 बजे सकुशल बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा पुलिस टीम की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी व धन्यवाद दिया गया।

संबंधित अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 252/24 धारा 137(2) बीएनएस थाना भीमपुरा, बलिया

3.श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तागण को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 10,000/-10,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 16.11.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 53/2021 धारा 304,506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर अभियुक्ता 1. चन्द्रादेवी पुत्री हरिशंकर राम निवासी नागपुर थाना चितबड़ागांव, बलिया 2. अनीता देवी पत्नी हरिशंकर राम निवासी नागपुर थाना चितबड़ागांव, बलिया को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा-

धारा 304/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्ता को 10 वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव सिंह